

न्यायमूर्ति सुखदेव सिंह कांग, जे एस सेखों के समक्ष
हरियाणा राज्य,--अपीलकर्ता।

बनाम

मेसर्स फ़िरक इंडिया लिमिटेड, फरीद एबी एडी, - उत्तरदाता।

सामान्य बिक्री कर संदर्भ सं. 1983 का 27 .

3 अगस्त, 1989।

हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 - धारा 40 और 42 - रिमांड का अधिकार क्षेत्र - अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील में उठाए गए मामलों पर योग्यता की पुनः जांच का निर्देश देने के लिए सक्षम नहीं है, इस आधार पर कि मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा उनकी उचित जांच नहीं की गई थी।

यह माना गया है कि अपीलीय प्राधिकारी किसी पक्ष द्वारा दायर अपील पर निर्णय लेते समय अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दों को नहीं उठा सकता है, अपील में प्रतिवादी अपीलीय प्राधिकारी को उन बिंदुओं या मुद्दों को लेने के लिए आमंत्रित नहीं कर सकता है जो अपीलकर्ता द्वारा उठाए नहीं गए हैं, दलील ें नहीं दी गई हैं या आग्रह नहीं किया गया है। आकलन प्राधिकारी के किसी निर्णय या निष्कर्षों से असंतुष्ट होने पर विभाग उस आदेश के खिलाफ अपील या संशोधन कर सकता है।

(पैरा 7)।

यह माना गया कि यदि करदाता द्वारा दायर अपील पर, टिर्ब्यनल हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1963 की धारा 39 के प्रावधानों के अनुसार कर में वृद्धि नहीं कर सकता है, तो उप आबकारी और कराधान आयुक्त भी करदाता-अपीलकर्ता की अपील पर और विभाग द्वारा किसी भी अपील या संशोधन के अभाव में नहीं कर सकते हैं। दी गई छूट से संबंधित समिति के आदेशों को रद्द करें और मामले को नए निर्णय के लिए रिमांड पर दें। इसलिए, यह माना जाना चाहिए कि अपीलीय प्राधिकरण उन मामलों पर गौर करने के लिए सक्षम नहीं था जो अपील में नहीं उठाए गए थे और करदाता द्वारा दायर अपील पर आकलन प्राधिकारी द्वारा नए मुद्दों की जांच का निर्देश दिया गया था।

(पैरा 8 और 9)

हरियाणा सामान्य बिक्री कर द्वारा चंडीगढ़ स्थित पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 24 दिसंबर, 1979 के आदेश से उत्पन्न कानून के निम्नलिखित प्रश्न की राय के लिए हरियाणा सामान्य बिक्री कर द्वारा किया गया संदर्भ (ख) कर निर्धारण वर्ष 1968-69 से संबंधित 1976-77 की रिट याचिका सं 193।

प्रश्न

" क्या अपीलीय प्राधिकारी इन मामलों पर विचार करने के लिए सक्षम है जो अपील में नहीं उठाए गए हैं और अधिनियम की धारा 40 के प्रावधानों का सहारा लिए बिना मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा नए मुद्दों की जांच का निर्देश देते हैं, जिन्हें अपीलीय प्राधिकारी मानता है कि अपील पर विचार करते समय मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा उचित रूप से जांच नहीं की गई है।

अपीलकर्ता के लिए एस.के.सूद, डी.ए. हरियाणा,
प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता एससी सिब्बल।

एस. एस. कांग, जे.

(1) बिक्री बिक्री कर अधिकरण, हरियाणा ने आयुक्त के आवेदन पर, हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 की धारा 42 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत हमारी राय के लिए निम्नलिखित प्रश्न को संदर्भित किया है:

"क्या अपीलीय प्राधिकरण उन मामलों पर गौर करने के लिए सक्षम है जो अपील में नहीं उठाए गए हैं और अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान का सहारा लिए बिना, मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा नए मुद्दों की जांच करने का निर्देश देते हैं, जिनके बारे में अपीलीय प्राधिकरण को लगता है कि अपील पर विचार करते समय उचित रूप से जांच नहीं की गई है?"

(2) इस प्रश्न को जन्म देने वाले तथ्य संक्षेप में हो सकते हैं बताया गया:

मैसर्स फ़िरक इंडिया लिमिटेड, फरीदाबाद, इस मामले में प्रतिवादी करदाता, पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1948 के तहत एक पंजीकृत डीलर है, जो सामग्री समय पर हरियाणा राज्य पर लागू होता है और केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956। आकलन प्राधिकारी ने अपने दिनांक 20 जनवरी, 1976 के आदेश द्वारा वर्ष 1968-69 के लिए मूल्यांकन तैयार किया। इसने क्रेडिट नोटों के कारण 95,729.38 रुपये की राशि को समायोजित करने से इनकार कर दिया; 32,333.25 रुपये के कर से जुड़े 'सी' फॉर्म को खारिज कर दिया गया और बीमा शुल्क के कारण 3,495.18 रुपये का कर भी जोड़ा गया, हालांकि प्रतिवादी ने दावा किया था कि वे कर लगाने योग्य नहीं थे। करदाता ने केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 9 (2) के साथ अधिनियम की धारा 39 के तहत अपील की। प्रतिवादी ने उप आबकारी और कराधान आयुक्त के समक्ष आग्रह किया कि मूल्यांकन प्राधिकरण ने क्रेडिट नोटों के कारण 95,729.38 रुपये को समायोजित नहीं करके गलती की थी; 32,333.35 रुपये के कर वाले 'सी' फॉर्म को अस्वीकार करने और स्वीकार नहीं करने और बीमा शुल्क ों पर 3,495.18 रुपये का कर लगाने में जो कर योग्य नहीं थे। प्रतिवादी की ओर से अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष कोई अन्य बिंदु नहीं उठाया गया था। यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि मूल्यांकन प्राधिकरण ने करदाता को कुछ राशियों के लिए कर योग्य कारोबार से कटौती की अनुमति दी थी, जिसे भारत के क्षेत्र से बाहर निर्यात के दौरान बिक्री होने का दावा किया गया था। विभाग ने आकलन प्राधिकरण के इस आदेश के खिलाफ कोई अपील या पुनरीक्षण दायर नहीं किया था।

(3) अपीलीय प्राधिकरण ने अपील में उठाए गए बिंदुओं पर विचार किया और प्रतिवादी-निर्धारिती की दलीलों से सहमत नहीं था, उन्होंने कहा कि क्रेडिट नोटों के समायोजन का दावा मान्य नहीं था; आकलन से पहले 'सी' फॉर्म जमा नहीं किए गए थे

प्राधिकरण और बीमा शुल्क माल की कीमत का हिस्सा और पार्सल थे। नतीजतन, उन्होंने माना कि अपील में कोई बल नहीं था और इसे खारिज कर दिया। हालांकि, अपने आदेश के पैरा 5 में उन्होंने कहा कि मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिल्ली के लिए

अनुमत माल का हस्तांतरण क्रम में नहीं था क्योंकि न तो दिल्ली का स्टॉक रजिस्टर मूल्यांकन प्राधिकरण के समक्ष पेश किया गया था और न ही यह स्थापित किया गया था कि दिल्ली में अपीलकर्ता द्वारा कोई गोदाम रखा गया था। उन्होंने यह भी कहा कि मूल्यांकन प्राधिकरण ने 4,70,997.30 रुपये के भारत के क्षेत्र से बाहर निर्यात के बारे में दावे को स्वीकार किया था, हालांकि लदान के बिलों या यहां तक कि शिपिंग दस्तावेजों के रूप में कोई सबूत नहीं था। उन्होंने कहा कि आकलन प्राधिकरण ने मामले की ठीक से जांच नहीं की और उसे दावा की गई कटौती के प्रत्येक मद के लिए नए सिरे से जांच की आवश्यकता है और मूल्यांकन प्राधिकारी को अनुमति दे दी। नतीजतन, उन्होंने आकलन प्राधिकरण द्वारा अनुमत कटौती के संबंध में मूल्यांकन को रद्द कर दिया और मामले को नए निर्णय के लिए उस सीमा तक भेज दिया। इस आदेश से व्यथित, प्रतिवादी ने बिक्री कर न्यायाधिकरण, हरियाणा के समक्ष अपील दायर की। अपीलकर्ता करदाता की ओर से उनके समक्ष आग्रह किया गया था कि मूल्यांकन प्राधिकारी ने इस दलील पर उसके पास जमा किए गए 'सी' फॉर्मों पर विचार नहीं किया कि वे विकृत थे और उन पर जरूरत से ज्यादा लिखा गया था। 'सी' फॉर्म जमा करने का कोई अवसर नहीं दिया गया था और अपीलकर्ता को क्रेडिट नोट्स और बीमा शुल्क के लिए समायोजन नहीं दिया गया था। अंत में, यह तर्क दिया गया कि उप आबकारी और कराधान आयुक्त ने मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा पहले से तय किए गए बिंदुओं की जांच के लिए मामले को मूल्यांकन प्राधिकरण को भेज दिया था, जिसके बारे में अपीलकर्ता ने कोई शिकायत नहीं की थी। पहले तीन तर्कों को विद्वान ट्रिब्यूनल का समर्थन नहीं मिला और उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। हालांकि, ट्रिब्यूनल अंतिम तर्क से प्रभावित हुआ और कहा कि उप आबकारी और कराधान आयुक्त ने करदाता द्वारा दायर अपील में उन मुद्दों को लेने में अवैध रूप से काम किया था जो उसके द्वारा नहीं उठाए गए थे। अधिनियम की योजना यह थी कि अपीलीय प्राधिकारी को अपील पर ऐसे आदेश पारित करने होते थे जो वह उचित समझे। हालांकि, इसने अपीलीय प्राधिकरण को उन मुद्दों को उठाने के लिए अधिकृत नहीं किया, जिन्हें धारा 39 के तहत अपील के आधार पर नहीं लिया गया था। उन्होंने रिमांड के आदेश को अवैध माना और इसे रद्द कर दिया।

(4) आबकारी और कराधान आयुक्त, हरियाणा ने संदर्भ के लिए अधिनियम की धारा 42 (1) के तहत एक आवेदन दायर किया। इस आवेदन पर ही निर्णय के प्रारंभिक भाग में निकाले गए प्रश्न को इस न्यायालय की राय के लिए भेजा गया है। यह

हरियाणा राज्य बहुत मेसर्स फ़िरक इंडिया लिमिटेड, फरीदाबाद (एस. एस. कांग, जे.)
के। अ.।

अधिनियम की धारा 39 और 40 के प्रासंगिक प्रावधानों को पढ़ना उचित होगा जो अपील और संशोधन का प्रावधान करते हैं:

- (5) . अपील (1) इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत पारित धारा 40 के तहत आदेश सहित प्रत्येक मूल आदेश से अपील निहित होगी, -
 - (1) यदि यह आदेश किसी कर निर्धारण प्राधिकारी, चेक-पोस्ट या बैरियर के प्रभारी अधिकारी या उप आबकारी और कराधान आयुक्त के रैंक से नीचे के अधिकारी द्वारा उप आबकारी और कराधान आयुक्त या ऐसे अन्य अधिकारी को दिया जाता है जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे;
 - (2) यदि उप आबकारी और कराधान आयुक्त द्वारा आयुक्त या राज्य सरकार के रूप में ऐसे अन्य अधिकारी को आदेश दिया जाता है, तो अधिसूचना द्वारा नियुक्त कर सकता है;
 - (3) यदि आयुक्त द्वारा टिर्ब्यूनल को आदेश दिया जाता है;
- (6) धारा 4 की उपधारा (10) के अधीन अधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों के अधीन और अधिकरण के अलावा किसी अन्य अपीलीय प्राधिकारी के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, एक अपीलीय प्राधिकारी अपील पर ऐसा आदेश पारित कर सकता है, जिसे वह उचित और उचित समझता है, जिसमें कर या जुर्माना या ब्याज की राशि बढ़ाने का आदेश या आकलित कर की वसूली पर रोक लगाने वाला आदेश शामिल है। या इस अधिनियम के तहत लगाया गया जुर्माना या ब्याज या सभी:

बशर्ते कि मूल्यांकन किए गए कर, या लगाए गए जुर्माना, या देय ब्याज या सभी की वसूली पर रोक लगाने वाला कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलकर्ता अपीलीय प्राधिकरण की संतुष्टि के लिए बैंक गारंटी या पर्याप्त सुरक्षा प्रस्तुत नहीं करता है।
- (7) । पुनरावृत्ति।(1) आयुक्त अपने स्वयं के प्रस्ताव पर, किसी कर निर्धारण प्राधिकारी या अपीलीय द्वारा लंबित या निपटाए गए किसी मामले का रिकॉर्ड मांग सकता है।

आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा (1990)2

अधिकरण के अलावा प्राधिकारी, किसी कार्यवाहियों या उसमें दिए गए किसी आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने वाले प्रयोजनों के लिए और उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकता है जो वह उचित समझे:

परन्तु आदेश की तारीख से आठ वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद किसी भी आदेश को संशोधित नहीं किया जाएगा।

बशर्ते कि अवधि की उपरोक्त सीमा वहां लागू नहीं होगी जहां इसी तरह के मामले में आदेश ट्रिब्यूनल या किसी न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप संशोधित किया जाता है।

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उपधारा (1) के अधीन आयुक्त की शक्तियों को ऐसी शर्तों के अधीन और ऐसे क्षेत्रों के संबंध में, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी अधिकारी को प्रदान कर सकेगी।

(3) इस धारा के तहत कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा जो किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है जब तक कि ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया हो।

(5) धारा 39 की उप-धारा (6) द्वारा परिकल्पित निर्धारण के लिए आने वाले प्रश्न से संबंधित कोई विनियम या नियम तैयार नहीं किए गए हैं।

(6) यह स्पष्ट है कि धारा 39 पूर्वोक्त एक पक्ष को अपील दायर करने के लिए अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत पारित किसी भी आदेश से व्यथित अधिकार प्रदान करती है। जब आदेश निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किया जाता है, तो अपील उप उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त के पास होती है; जब आदेश उप आबकारी और कराधान आयुक्त द्वारा आयुक्त को दिया जाता है और यदि आयुक्त द्वारा आदेश दिया जाता है, तो ट्रिब्यूनल को।

(7) धारा 39 की भाषा से भी यह स्पष्ट है और पक्षकारों के विद्वान वकीलों ने वास्तव में स्वीकार किया है कि करदाता और विभाग दोनों उन आदेशों के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं जिनसे वे असंतुष्ट हैं। दायर अपील पर, अपीलीय प्राधिकरण को ऐसे आदेश पारित करने की शक्तियों के साथ निवेश किया गया है जो वह उचित और उचित समझे, जिसमें कर या जुर्माना या ब्याज या सभी की राशि बढ़ाने का आदेश शामिल है। धारा 39 को विभिन्न धाराओं के पैटर्न पर तैयार किया गया है

हरियाणा राज्य बनाम मैसर्स फ़िरक इंडिया लिमिटेड, फरीदाबाद (एस.एस. कांग, जे। अपील की शक्तियां प्रदान करने वाले विभिन्न कानून। संक्षेप में, यह नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 96 के अनुरूप है। अपीलीय प्राधिकारी को आक्षेपित आदेशों की जांच करने और उनकी वैधता और औचित्य का न्याय करने और निर्धारित करने के लिए व्यापक शक्तियां दी गई हैं। अधिनियम या नियमों के तहत अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने वाले प्राधिकरण द्वारा पारित किसी भी आदेश से असंतुष्ट कोई भी पक्ष, उस आदेश के खिलाफ अपनी शिकायतों और याचिकाओं को उठाते हुए अपील दायर कर सकता है और आदेश की वैधता और औचित्य को चुनौती दे सकता है। किसी पक्षकार द्वारा अपनी अपील में जो भी याचिकाएं उठाई जाती हैं, उनकी अपीलीय प्राधिकारी द्वारा जांच की जाती है और उन पर निर्णय लिया जाता है जिसमें लागू आदेशों को अलग-अलग, संशोधित या रद्द करके या मामले को नए निर्णय के लिए भेज दिया जाता है। हालांकि, इस अधिकार क्षेत्र को केवल एक पक्ष द्वारा दायर अपील पर ही लागू किया जा सकता है। आयुक्त के विपरीत उप आबकारी और कराधान आयुक्त को अपने स्वयं के प्रस्ताव पर कार्रवाई करने की शक्तियों के साथ निवेश नहीं किया गया है। केवल जब अपील दायर की जाती है, तो अपीलीय प्राधिकारी सुनवाई के समय अपील के आधार पर उठाए गए विशिष्ट मुद्दों या उसके समक्ष आग्रह किए गए मुद्दों पर निर्णय लेता है। प्रतिवादी को अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए और आग्रह किए गए बिंदुओं पर सुनवाई और जवाब देने का अवसर भी दिया जाता है। हालांकि, अपीलीय प्राधिकारी, किसी पक्ष द्वारा दायर अपील पर फैसला करते समय गुण-दोष के मुद्दों को नहीं उठा सकता है जो अपीलकर्ता द्वारा नहीं उठाए गए हैं। अपील में प्रतिवादी अपीलीय प्राधिकारी को उन बिंदुओं या मुद्दों को लेने के लिए आमंत्रित नहीं कर सकता है जो अपीलकर्ता द्वारा उठाए नहीं गए हैं, दलील ें या आग्रह नहीं किए गए हैं। आकलन प्राधिकारी के किसी निर्णय या निष्कर्षों से असंतुष्ट होने पर विभाग उस आदेश के खिलाफ अपील या संशोधन कर सकता है। यह कानून का एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है: यदि किसी निर्णय का पक्ष किसी आदेश के खिलाफ अपील या संशोधन दायर नहीं करता है, तो यह माना जाता है कि उसने उस आदेश को स्वीकार कर लिया है या उस पर सहमति व्यक्त की है। ऐसा पक्ष, अधिक से अधिक, आदेश में उल्लिखित आधारों पर या फाइल पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर विपरीत पक्ष द्वारा अपील में लगाए गए आदेशों का समर्थन कर सकता है, लेकिन वह आक्षेपित आदेश में एक निष्कर्ष को चुनौती नहीं दे सकता है जो अपीलकर्ता के पक्ष में और विपरीत पक्ष द्वारा दायर अपील में इसके खिलाफ जा सकता है। इस मुद्दे को सैद्धांतिक रूप से स्पष्ट करना आवश्यक नहीं है क्योंकि यह केरल राज्य बनाम केरल राज्य बनाम केरल मामले में हाल ही में दिए गए एक निर्णय में अंतिम न्यायालय के बाध्यकारी उदाहरण से निष्कर्ष निकाला गया है। विजया स्टोर्स, (1)। उस मामले में, आकलन प्राधिकरण ने कोचीन में करदाता के मुख्य कार्यालय से निरीक्षण अधिकारी द्वारा पता लगाए गए और जब्त किए गए एक मोटे नोट बुक से एकत्र सामग्री के आधार पर करदाता द्वारा प्रस्तुत खातों को खारिज कर दिया;

(1) (1978) 42 एसटीसी 418।

एफटी पाया गया कि उस मोटे नोट बुक में दर्ज लेनदेन का लगभग 50 प्रतिशत करदाता द्वारा मुख्य रूप से तैयार नियमित बही-खातों में दर्ज नहीं किया गया था; मूल्यांकन प्राधिकारी ने कोचीन की दुकान से संबंधित स्वीकृत कारोबार में 10 प्रतिशत की वृद्धि की और मूल्यांकन तैयार किया। करदाता की अपील पर

अपीलीय सहायक आयुक्त ने करदाता की इस दलील को स्वीकार नहीं किया कि खातों को गलत तरीके से खारिज किया गया है। हालांकि, करदाता का दूसरा तर्क कि कर योग्य कारोबार में 10 प्रतिशत की वृद्धि अत्यधिक थी, प्रबल था और इस वृद्धि को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया। फिर भी असंतुष्ट महसूस करते हुए, करदाता ने एक अपील दायर की जिसे ट्रिब्यूनल द्वारा निपटा दिया गया। करदाता की एकमात्र चुनौती कर योग्य कारोबार में 5 प्रतिशत की वृद्धि के खिलाफ निर्देशित थी। राजस्व ने कोई अपील या क्रॉस-आपत्ति दर्ज नहीं की थी। अपीलीय न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आकलन प्राधिकरण और अपीलीय सहायक आयुक्त के पास 80,218.22 रुपये से कम के किसी भी आंकड़े को जोड़ने का कोई कारण नहीं था, जैसा कि पता लगाए गए मोटे नोट बुक से देखा गया था। न्यायाधिकरण ने केरल सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1963 की धारा 39 (4) के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए, करदाता को टर्नओवर में प्रस्तावित वृद्धि के खिलाफ कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया और करदाता की आपत्तियों को सुनने के बाद, कर योग्य कारोबार में 80,218.22 रुपये की राशि जोड़ने का निर्देश दिया। करदाता ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की और तर्क दिया कि विभाग द्वारा अपील या क्रॉस-आपत्ति के अभाव में ट्रिब्यूनल के पास मूल्यांकन बढ़ाने का कोई अधिकार क्षेत्र या शक्ति नहीं है। यह दलील प्रबल हुई और उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार कर लिया और न्यायाधिकरण के आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया और मामले को कानून के अनुसार नए सिरे से करदाता की अपील पर सुनवाई के लिए भेज दिया। केरल राज्य ने अपील की। अपील खारिज कर दी गई, उच्च न्यायालय के निष्कर्षों की पुष्टि की गई। उच्चतम न्यायालय के उनके कार्यकाल निम्नानुसार हैं -

"सामान्य नियम कि किसी निर्णय से अपील नहीं करने वाले पक्ष को निर्णय से संतुष्ट माना जाना चाहिए, इसे स्वीकार किया जाना चाहिए और इसके लिए बाध्य होना चाहिए, और इसलिए, प्रतिद्वंद्वी पक्ष द्वारा पसंद की गई अपील में उसके खिलाफ राहत की मांग नहीं की जा सकती है, उपरोक्त उप-धारा 4 (ए) (आई) में विचलित नहीं किया गया है। दूसरे शब्दों में, अपीलीय सहायक आयुक्त के आदेश के खिलाफ विभाग द्वारा अपील या क्रॉस-आपत्तियों की अनुपस्थिति में अपीलीय न्यायाधिकरण के पास मूल्यांकन को बढ़ाने के लिए कोई अधिकार क्षेत्र या शक्ति नहीं होगी। आगे

मेसर्स मेहता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, बहादुरगढ़ बनाम हरियाणा राज्य (एस. एस. कांग, ज.)

उप-धारा 4 (ए) (आई) पर अपीलकर्ता के वकील द्वारा रखे गए निर्माण को स्वीकार करना वास्तव में धारा 39 की उप-धारा (2) को प्रस्तुत करना होगा, क्योंकि यदि अपीलीय सहायक आयुक्त के आदेश के खिलाफ निर्धारित द्वारा पसंद की गई अपील में न्यायाधिकरण के पास मूल्यांकन को बढ़ाने की शक्ति होगी, तो विभाग द्वारा क्रॉस-आपत्तियों का प्रावधान वास्तव में अनावश्यक था। धारा 39 की पूरी योजना के संबंध में, इसलिए, यह स्पष्ट है कि धारा 39 की उप-धारा 4 (ए) (आई) के सही और उचित निर्माण पर ट्रिब्यूनल के पास विभाग द्वारा अपील या क्रॉस-आपत्तियों के अभाव में मूल्यांकन को बढ़ाने का कोई अधिकार क्षेत्र या शक्ति नहीं है।

(8) 1963 के अधिनियम की धारा 39 की भाषा अधिनियम की धारा 39 के प्रावधान के साथ लगभग असंगत है। यदि करदाता द्वारा दायर अपील पर, ट्रिब्यूनल 1963 अधिनियम की धारा 39 के प्रावधानों के अनुसार कर में वृद्धि नहीं कर सकता है, तो उप आबकारी और कराधान आयुक्त भी अपील पर नहीं कर सकता है!

(9) परिणाम में, हम मानते हैं कि अपीलीय प्राधिकरण उन मामलों पर गौर करने के लिए सक्षम नहीं था जो अपील में नहीं उठाए गए थे और करदाता द्वारा दायर अपील पर आकलन प्राधिकरण द्वारा नए मुद्दों की जांच का निर्देश दिया गया था। हमारे लिए यह आवश्यक नहीं है कि हम अधिनियम की धारा 40 के उपबंधों का निर्माण करें और इन कार्यवाहियों में आयुक्त के पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के दायरे को परिभाषित करें। संदर्भित प्रश्न का उत्तर नकारात्मक है। कोई कीमत नहीं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादीके सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्यके लिए उपयुक्त रहेगा।

वरुण बंसल

प्रशिक्षु न्यायिक

अधिकारी

गुरुग्राम